

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी
स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

निविदा



2017–2018

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध गांधी स्मारक
चिकित्सालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा में
भर्ती मरीजों के लिये लगने वाली खाद्य सामग्री हेतु ई-निविदा
(प्रथम आमंत्रण)

कीमत रु. 5000/-
(रूपये पाँच हजार मात्र)

निविदा क्रमांक- 22/2017-18

ONLINE TENDER SCHEDULE

ई-निविदा विज्ञप्ति क्र. 22/2017-18

SEQ NO	SCHEDULE	START DATE & TIME	EXPIRY DATE & TIME	ENVELOPES
1	PURCHASE OF TENDER ONLINE	27-11-2017 11.00 AM	18-12-2017 5.00 PM	ENVELOPE A, ENVELOPE B
2	BID SUBMISSION ONLINE	27-11-2017 11.00 AM	18-12-2017 5.00 PM	
3	PHYSICAL SUBMISSION OF BID DOCUMENT	27-11-2017 11.00 AM	21-12-2017 5.00 PM	ENVELOPE A, ENVELOPE B
4	MANDATORY SUBMISSION OPEN	22-12-2017 12.30 PM	-	ENVELOPE A
5	TECHNICAL PROPOSAL OPEN	22-12-2017 12.35 PM	-	ENVELOPE B
6	FINANCIAL BID OPEN	Ik`Fkd ls lwpuK nh tkosxhA	-	

अमानत राषि एवं चाहे गए दस्तावेजों की हार्ड कापी 21.12.2017 को सायंकाल 05.00 बजे तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित होकर कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र. 486001 में जमा कर सकते हैं। पोस्टल विलम्ब के लिए कार्यालय किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

ई-मेल:- jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com, Fax-07662-242104

संपर्क:- 07662-242104, +91-9179705483, +91-9644695933 +91-8827730393

निविदा प्रस्तुत करने संबंधी सामान्य निर्देश:-

प्रत्येक निविदादाता को निविदा के रूप में 03 सीलड लिफाफे ए, बी एवं सी एक बड़े आउटर लिफाफे डी में सीलड कर प्रस्तुत करने होंगे।

लिफाफा ए में रखे जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूची:-

1. धरोहर राशि रूपये 200000/- (दो लाख मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम से हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।

लिफाफा बी में रखे जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूची:-

- 1- ewy fufonk i i = gLrk{kj , oa l hy l fgrA
- 2- अमानत राशि के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम रू. 200000/- (दो लाख मात्र) का डी.डी
- 3- फर्म/दुकान की स्थापना के पंजीयन की छायाप्रति, जिनमें खाद्य सामग्री से संबंधित कारोबार दर्शित हो।
- 4- foRrh; o"l 2015&16 , oa 2016&17 ¼ l d e#V b; j 2016&17 , oa 2017&18½ dk vk; dj fjVuZ tek djus dh Lo; a }kjk l R; kfi r Nk; ki fr½
- 5- 100.00 राशि के नान जूडिसियल स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र मूलतः
- 6- पैन कार्ड की छायाप्रति
- 7- जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति
- 8- शासकीय चिकित्सालय अथवा शासकीय संस्थान में खाद्य सामग्री आपूर्ति करने का 01 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र।
- 9- Okf"kd VuZ vkøj l ælkh i æk.k i = l h, - }kjk tkjhA ¼ 10-00 yk[k okf"kd l s de ugh gkuk pkfg; s Ok"l 2016&17½

लिफाफा सी में रखे जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूची:-

1. पारदर्शी कन्टेनरों में सूखे सामग्रियों के नमूने एवं उसकी सूची।

ई-निविदा के नियम एवं शर्तें

1. श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा में भर्ती मरीजों के लिये लगने वाली खाद्य सामग्री हेतु प्रथम ई-निविदा वर्ष 2017-18 के लिए आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://www.mpeproc.gov.in> पर ऑनलाईन भुगतान कर क्रय किये जा सकेंगे। इसे चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाइट <http://www.ssmcrewa.com> में भी देखा जा सकेगा।
2. आनलाईन निविदा जमा करने की निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी। आनलाईन निविदा फार्म क्रय करने का मूल्य रू. 5000.00 (पांच हजार मात्र) निर्धारित हैं यह राशि किसी भी दशा में वापसी योग्य नहीं है।

3. निविदा के साथ अमानती राशि रूपये 200000/—(दो लाख मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम से हो संलग्न करना अनिवार्य है। जिस निविदाकार की निविदा स्वीकार नहीं होगी उसकी अमानती राशि प्रथम निविदाकार के कार्य संचालन प्रारंभ करने के 45 दिवस बाद वापस की जावेगी। डिमाण्ड ड्राफ्ट पर निविदाकार को ब्याज देय नहीं होगा।
4. निविदा आनलाईन भरी जावेगी तथा इसकी हार्ड कापी पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, हाथों हाथ में से किसी भी एक माध्यम द्वारा प्रस्तुत की जा सकेगी। पोस्टल विलंब के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। निविदाये दिनांक 21.10.2016 को गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के कार्यालय में दोपहर 12:30 बजे खोली जावेगी, जिसमें निविदाकार अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकतें हैं।
5. निविदाकार का निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करना चाहिये।
6. निविदाकार को निविदा के साथ सील बंद लिफाफे D में सूखे सामानों का नमूना जो पारदर्शी कंटेनर में हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। लिफाफे के उपर सूखे सामग्री का नमूना लिखा होना चाहियें।
7. निविदा के साथ आयकर पैन न. व जी.एस.टी. नम्बर की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. निविदा के साथ वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 आयकर जमा करने के चालान की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. चिकित्सालय की क्रय समिति को किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त/अमान्य करने का अधिकार होगा।
10. सामान्यतः न्यूनतम मूल्य दर की निविदा को स्वीकार किया जावेगा, तथापि क्रय समिति शासनहित/जनहित में समग्र रूप से विचार करते हुये अन्यथा निर्णय लेने हेतु अधिकार सम्पन्न होगी।
11. स्वीकृत निविदा, स्वीकृति की तिथि से सामान्यतः एक वर्ष की समयावधि तक के लिये होगी। यदि किसी कारणवश नई निविदा प्रभावशील होने में विलंब होता है तो नवीन निविदा प्रभावशील होने तक पूर्व शर्तों एवं दरों पर खाद्य सामग्रियों का प्रदाय करना अनिवार्य होगा।
12. निविदाकार को शासकीय चिकित्सालय/शासकीय संस्थान में खाद्य सामग्री आपूर्ति करने का एक वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।
13. समस्त खाद्य सामग्री का प्रदाय चिकित्सालय की पाकशाला भण्डार (किचेन) पर अधिकृत किये गये पदाधिकारी के लिखित/मौखिक/दूरभाष पर दिये गये आदेशानुसार प्रतिदिन निर्धारित समय के भीतर प्रदाय करना अनिवार्य होगा।
14. स्वीकृत निविदा प्रभावशील रहने की अवधि में जनहित की आवश्यकता के अनुरूप निविदा के निबंधन एवं शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार चिकित्सालय की क्रय समिति के पास सुरक्षित है।
15. देयकों का भुगतान शासन से बजट प्राप्त होने व कोषालय से आहरण के पश्चात किया जावेगा। जिसमें समय भी लग सकता है। किसी भी प्रकार अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा तथा किसी भी राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
16. निविदाओं के संबंध में क्रय समिति का निर्णय सभी निविदाकारों को मान्य एवं बंधनकारी होगा।
17. सामग्री की मात्रा चिकित्सालय की मांग अनुसार घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है।
18. प्रदाय की जाने वाली समस्त खाद्य सामग्री उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिये। जिन सामग्री में एगमार्क उपलब्ध हो एगमार्क की ही दी जावें। प्रदाय सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय-समय पर की जावेगी। यदि गुणवत्ता में कमी पाई जायेगी तो अर्थदण्ड लगाया जावेगा तथा ठेका निरस्त किया जा सकेगा।
19. यदि निविदाकार मांग अनुसार सामग्री की पूर्ति करने में हीलाहवाली करता है, सामग्री गुणवत्ता पूर्ण नहीं पाई जाती है तो वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी तथा जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

20. प्रदाय की जाने वाल खद्य सामग्री , सब्जियां,फल,मसाले इत्यादि उच्च गुणवत्ता युक्त होनी चाहिये । खराब सामग्री के कारण चिकित्सालय मे भर्ती किसी भी मरीज को किसी प्रकार का नुकसान होता है तथा जांच मे सिद्ध पाया जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी । इस पर वैधानिक कार्यवाही भी निविदाकार के विरुद्ध की जावेगी।
21. खद्य सामग्री की दरें निविदा स्वीकृति के समय तहसीलदार रीवा से प्राप्त दरों की सीमा के भीतर ही स्वीकार होंगी। तहसील दर से उपर की दरें प्राप्त होने पर न्यूनतम निविदाकार को तहसील दर पर ही खद्य सामग्री प्रदाय करना अनिवार्य होगा अथवा उससे नीचे की दर मान्य होगी पर प्रदाय की जाने वाले सामग्री अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहियें।
22. सभी विवादों का निपटारा रीवा स्थिति माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत होगा।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा म.प्र

प्रपत्र – ए

(लिफाफे को सील बंद करें तथा लिफाफे पर प्रपत्र ए स्पष्ट उल्लेखित करें)

जमा अर्नेस्ट मनी से संबंधित डी.डी. का विवरण

क्र मां क	डी.डी क्रमांक एवं दिनांक	बैंक का नाम	राशि	जारी होने का दिनांक/वैधता तिथि

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर.....

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील

तकनीकी बिड हेतु प्रपत्र:- बी

(पूर्ण रूप से भर कर एवं हस्ताक्षरित कर लिफाफे को सील बंद करें एवं लिफाफे पर प्रपत्र बी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें)
निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

स. क्र.	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकार के द्वारा टिक किया जावे।		परीक्षण समिति द्वारा टिक किया जावे।	
		पृष्ठ क. दर्शाये			
		हां	नहीं	हां	नहीं
1.	अमानत राशि के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम रु. 200000 (दो लाख मात्र) का डी.डी				
2.	मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित				
3.	फर्म/दुकान की स्थापना के पंजीयन की छायाप्रति।				
4.	वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 (एसेसमेंट ईयर 16-17 एवं 17-18) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)				
5	100.00 राशि के नॉन जूडिसियल स्टेम्प पेपर पर शपथ पत्र मूलतः				
6	पैन कार्ड की छायाप्रति				
7.	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति				
8.	शासकीय चिकित्सालय अथवा शासकीय संस्थान में खाद्य सामग्री आपूर्ति करने का 01 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र।				
9.	बन्द लिफाफे में रखे सूखे नमूने एवं उनकी सूची।				
10.	वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रु 10.00 लाख वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये वर्ष 2016-17)				

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम

(स्पष्ट अक्षरो)

निविदा आवेदन पत्र

निविदाकर्ता अपने स्वयं के लेटर हेड पर इस प्रारूप में निविदा प्रपत्रों की शर्तों के अनुसार निविदा प्रस्तुत करेंगे।

प्रति,

**संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा**

विषय:— श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय/ संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा में भर्ती मरीजों के लिये लगने वाली खाद्य सामग्री हेतु ई-निविदा (प्रथम आमंत्रण) प्रस्तुत करने बावत्।

श्रीमान,

विषयान्तर्गत हम/मैं श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय/ संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा में भर्ती मरीजों के लिये लगने वाली खाद्य सामग्री हेतु ई-निविदा प्रस्तुत करने हेतु संलग्न प्रपत्र में दर (आनलाईन) अपनी निविदा आवेदन सहर्ष प्रस्तुत करते हैं। मैंने निविदा फार्म में उल्लेखित सभी शर्तों को पढ़ एवं समझ लिया है। मुझे निविदा प्रपत्र में संलग्न सभी शर्तें स्वीकार हैं।

अतः आनलाईन निविदा फार्म की हार्ड कापी कार्यालय में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे फर्म के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है।

1. निविदाकर्ता का नाम.....
2. संस्था/दुकान/कम्पनी का नाम एवं सील.....
3. संस्था/दुकान/कम्पनी का पूर्ण पता.....
4. मोबाइल नं.....कार्यालय फोन नं.....निवास फोन नं.....
5. बैंक का नाम एवं पता, खाता संख्या, आई.एफ.एस.कोड आदि

**निविदाकार के हस्ताक्षर
संस्था की सील**

—घोषणा—पत्र—

(100/— रूपये के नान—ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाये)

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हूँ/है।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदा कार्य के लिए सक्षम हूँ/हैं।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदाकार्य से बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मैं/हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर, जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्ता हूँ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते है।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्तें प्रस्तुत नहीं की गयी है। यदि अन्य कोई शर्तें प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य माना जाये।
6. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नहीं है।
7. मेरे/हमारे द्वारा इस निविदा में भरी मूल्य दर से कम मूल्य दर की निविदा मध्यप्रदेश राज्य के किसी संस्था या कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
8. मेरे/हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री की गुणवत्ता की संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी।
9. हमारी संस्था के विरुद्ध सी.बी.आई0/लोकायुक्त/ई.ओ.डब्ल्यू/षासकीय कार्यालय इत्यादि में कोई जांच लबित नहीं है और न ही सक्षम न्यायालय मे आपराधिक प्रकरण दर्ज है और न ही दण्डित किया गया है।
10. मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही है। असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही किए जाने पर मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।

दिनांक:

(निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील)

नाम—

पूरा पता—

फोन एवं मोबा. न.—

गवाहों के नाम, पते एवं हस्ताक्षर

1.

2.

3.

लिफाफा सी नमूना हेतु

क.	सूखी सामग्री का नाम
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

स्थान :-
दिनांक :-

निविदाकार के हस्ताक्षर
एवं सील

प्राइस बिड केवल आनलाईन भरा जावे

प्रदाय की जाने वाली सामग्री उच्च गुणवत्ता युक्त होनी चाहियें।

क्र.	वस्तु का नाम	अनुमानित मात्रा	दर अंको में	दर शब्दों में
प्रवर्ग-1				
1.	गेहूँ	400 किंटल		
2.	गेहूँ का पिसा हुआ आटा 25 किलो की बोरी	300 किंटल		
3.	चावल	200 किंटल		
4.	दाल अरहर छिल्कारहित	250 किंटल		
5.	दाल मूंग छिलका युक्त	50 किंटल		
6.	मसूर खड़ी	01 किंटल		
7.	चना दाल	01 किंटल		
8.	सफेद तिल	03 किंटल		
9.	गेहूँ की पिसाई (आटा/दलिया सफाई एवं दूलाई सहित)	400 किंटल		
10.	बेसन (चना)	02 किंटल		
प्रवर्ग -2				
1.	हल्दी पिसी	02 किंटल		
2.	धनिया खड़ी	02 किंटल		
3.	जीरा खड़ा	02 किंटल		
4.	मिर्चा पिसा	02 किंटल		
5.	नमक पिसा आयोडिन युक्त	25 किंटल		
6.	शक्कर रबेदार	30 किंटल		
7.	गुड़ सूखा पुराना	30 किंटल		
8.	भूजां चना	02 किंटल		
9.	मूंगफली दाना	10 किंटल		
11.	लाई मूरमूरा	02 किंटल		
12.	सूजी	01 किंटल		
13.	पोहा	30 किंटल		
14.	सोठ	01 किंटल		
15.	चायपत्ती	03 किंटल		
16.	दूध पाउडर (अमूल)	01 किंटल		
प्रवर्ग- 3				
1.	बैगन	20 किंटल		
2.	लौकी	30 किंटल		
3.	कोहडा हरा	30 किंटल		
4.	आलू	30 किंटल		
5.	फूल गोभी	10 किंटल		
6.	पत्ता गोभी	10 किंटल		
7.	टमाटर पका	30 किंटल		
8.	पालक भाजी	10 किंटल		
9.	परवल	05 किंटल		
10.	बरबटी	05 किंटल		
11.	भिण्डी	05 किंटल		
12.	प्याज	30 किंटल		
13.	लहसुन	02 किंटल		
14.	मूली	05 किंटल		
15.	गाजर	05 किंटल		
16.	खीरा	20 किंटल		

17.	ककड़ी	05 क्विंटल		
18.	गिलकी (रिफूआ)	10 क्विंटल		
19.	चुकंदर	05 क्विंटल		
20.	हरी मिर्च	02 क्विंटल		
	प्रवर्ग-04			
1.	मुसम्मी (1 किलो मे 6 से 8 पीस तक)	200 क्विंटल		
2.	सेव फल (1 किलो मे 6 से 8 पीस तक)	200 क्विंटल		
3.	संतरा (1 किलो मे 6 से 8 पीस तक)	200 क्विंटल		
4.	केला पका (1 किलो में 7 से 8 पीस तक)	500 क्विंटल		
5.	पपीता	01 क्विंटल		
6.	डबल रोटी	05 क्विंटल		
7.	अण्डा (मुर्गी)	15000 नग		
8.	पंचमेवा (नारियल,छोहरा,मखाना,किशमिश,पोस्तादाना)	10 क्विंटल		
9.	बिस्कुट (पार्ले-जी बंद पैकेट)	100 क्विंटल		
10.	बिस्कुट (ब्रिटानिया बंद पैकेट)	100 क्विंटल		
10.	टोस्ट	20 क्विंटल		
	प्रवर्ग-5			
1.	दूध 5 प्रतिशत चिकनाई	15000 लीटर		
2.	पनीर	01 क्विंटल		
3.	मठ्ठा	02 क्विंटल		
	प्रवर्ग-6			
1.	खाद्य तेल (रिफाइंड सोयाबीन आयल एगमार्क सील्ड पैक 15 लीटर) 1. महाकोष 2. फारचून 3. सनरिच(रिफायण्ड सनपलॉवर सीड आयल) 4. सरसों तेल पतंजली	300 टिन		
2.	नारियल तेल (सील बंद एगमार्क)	50 लीटर		
3.	देशी घी (सील बंद एगमार्क) 1. सांची 2. अमूल 3. पतंजली	500 लीटर		

नोट:-उपरोक्त सामग्री की मात्र एक वर्ष के लिये अनुमानित है। चिकित्सालय मे भर्ती मरीजों की संख्या के आधार पर सामग्री घटाई एवं बढ़ाई जा सकेगी।

स्थान :-
दिनांक :-

निविदाकार के हस्ताक्षर
एवं सील